the monthly allotments of rice and wheat for various States/UTs are made on the basis of average lifting in the past taking into account the requirement for the population below the poverty line @ 10 kilogram per family per month. The allocation of rice made to Andhra Pradesh from June, 97 to March, 98 is 18.89 lakh tonnes.

Sugar

Under the present policy of partial control the allocation of levy sugar to most of the States/UTs is being made on a uniform norm of ensuring 425 gms. per capita per month availability as per 1991 census effective from 1.1. 1996 and not on the basis of demand. On the basis of the above criteria, the monthly levey sugar quota of Andhra Pradesh works out to 28267 MTs. In addition to monthly allotment, the Government also releases levy sugar for festivals to States/UTs annually in the month(s) or their choice and in proportion to their monthly levey sugar quota. The annual festival quota levey sugar to Adnhra Pradesh is 7614 tonnes.

An *ad-hoc* increase of 10% over and above the monthly levey sugar quota was allowed to all States/UTs including Andhra Pradesh for the months of December, 96, January, 97 and February, 97. Also, the annual festival quota of all States/UTs including Andhra Pradesh was doubled for the calendar year 1996.

(c) No demand for increase in the total allocation of either rice or sugar during 1998-99 has received from the Government of Andhra Pradesh.

(d) Does not arise.

Soaring Vegetable Prices in Delhi

2632. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that vegetable prices are soaring in Delhi;

(b) whether Government are aware of the news-item published in the Hindustan Times on 24th June, 1998 under caption "spiralling rates push vegetables out of agenda"; and

(c) if so, what steps have been taken to control the prices of vegetables in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS: (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) The vegetable and fruit prices in recent weeks have shown an upward trend in Delhi. The main reasons for this sudden increase are reported to be the lean supply season for fresh vegetables, high temperature during entire April-May, 1998 in almost entire surrounding region affecting vegetable crops and damage to fruit crops during winter.

(b) and (c) Yes, Sir. The prices of important vegetables like potatoes and onions are being monitored regularly. In order to minimise the hardships of the consumers, arrangements are being made to supply potatoes at a reasonsble rate through Super Bazar in Delhi. In view of the on set of monsoon, the availability of fresh green vegetables is expected to normalise in the coming weeks.

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

2633. **श्री नागमणि:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अप्रैल, 1998 तक भारत में खाद्यानों की प्रति व्यक्ति दिन-वार/माह-वार उपलब्धि कितनी-कितनी रही;

(ख) क्या यह सच है कि देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता में गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आयी गिरावट को पूरा करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार कर रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) पिछले तीन वर्षों और 1998 में अप्रैल तक के दौरान किलोग्राम/वर्ष और ग्राम/दिन के रूप में गणना किए गए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार है:—

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

वर्ष	किलोग्राम/वर्ष	ग्राम/दिन
1995	185.3	507.7
1996	177.3	585.8
1997	186.9	512.1
1998 (अप्रैल तक)	178.4	488.8

(ख) और (ग) 1997-98 मौसम में उत्पादन में कमी होने के कारण 1998 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता में 1997 की तुलना में गिरावट आई है। खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार "चावल, गेहूं और मोटे अदाज पर आधारित फसल प्रणाली" क्षेत्रों में समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आदि फसल विशिष्ट योजनाएं लागू कर रही है। जिससे अंततः उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में अन्तर

2634. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान थोक और खुदरा बिक्री मूल्यों के बीच प्रति किलोग्राम मूल्य में कितना अन्तर है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा बिक्री मूल्यों के बीच अधिकतम अनुज्ञेय मूल्य-अंतर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और विशेषकर खुदरा मूल्यों पर किस प्रकार निगरानी रखती है जिससे कि उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया जा सके?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) चार महानगरों में 1.7.98 की स्थिति के अनुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) ढुलाई लागत, पैकिंग लागत, स्थानीय करों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लाभ मार्जिन आदि जैसे कारणों से थोक और खुदरा स्तर पर मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले मार्जिन के संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। यह मांग और पूर्ति से संबंधित बाजार की शक्तियों पर निर्भर होता है।

(घ) उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर थोक और खुदरा स्तर पर 12 अति आवश्यक वस्तओं अर्थात् चावल, गेहूं, चने की दाल, तुर दाल, चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चाय, आलू, प्याज और नमक के मूल्यों पर निगरानी रखता है। जिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना रहती है और आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उनकी पहचान करने के लिए थोक और खुदरा मूल्यों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के माध्यम के किसी विशेष समय के दौरान जिन वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आ जानी है उनका राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर वितरण करके बाजार दखल कार्रवाई करना, आयात शुल्क में कमी करना, खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति देना, व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमाएं निर्धारित करना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम एंव चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत जमाखोरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शामिल है।